शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारुप (Certificate for exemption in tuition fees)

- (यह प्रमाण-पत्र आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करते समय प्रस्तुत किया जाना है।
- हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को चाहिए कि जो लागू न होता हो उसे काट दे।
- प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने पर शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र छात्र/छात्रा को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के आरम्भ में भी देना होगा।)

	,
यह प्रम	ाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
के पिता / माता.	श्री / श्रीमती
, ,	श्री / श्रीमती(राज्य कर्मचारी का नाम)
1.	राजस्थान सरकार का कर्मचारी है ।
2.	राजस्थान सरकार का कर्मचारी है परन्तु मेरे अधीन डेपुटेशन पर कार्य कर रहा है ।
3.	राजस्थान सशस्त्र दल (R.A.C.) जो राजस्थान के बाहर नियुक्त है –का कर्मचारी है ।
4.	भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service man) है जो –
	(अ) स्थायी रूप से अपाहिज है ।
	(ब) नेफा / लद्धाख / पाकिस्तान सीमा युद्ध के परिणाम स्वरूप मारा गया ।
तथा वह मेरे व	अधीनपद पर कार्य
कर रहा है/था	/ तथा इनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है ।
इनका मूल वेतन	न मंहगाई वेतन
अतिरिक्त महंगा	ई भत्ताअन्तरिम राहत
मकान किराया .	पोगपितमाह, वेतन श्रृखंला
में है तथा आगा	मी वेतन वृद्धि दिनांक है ।
	हस्ताक्षर
	विभागाध्यक्ष अथवा राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी
	(Head of Dept. or Gazetted Controlling Officer) (पद व कार्यालय की मुहर)
मैं सत्य	निष्ठा से शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि
	ृ १ भाई / बहिन अविवाहित है तथा पूर्णतया मुझ पर आश्रित है ।
· ` 3~/ 3~!/	ust not surmed a dur from Ber 10 amilion a 1

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर

राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई / बहिन के लिये शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारुप

(Certificate for exemption in tuition fees)

- अगर अभ्यार्थी राज्य कर्मचारी का भाई/बहिन है तो निम्न प्रारुप का उपयोग करें।
- प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने पर शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी।
- जो लागू न हो उसे काट देवे।

并	पुत्र श्री
सत्यनिष्ठा से शपथ कर बयान करता हूं कि मेरा १	- गाई / बहिन
पुत्र / पुत्री अविवाहित है, वि	
मेरे पिता जीवित नहीं है / मेरे पिताव	ार्ष के वृद्ध है और उनकी कुल आय सब स्त्रोतों से
शून्य है / मेरे पिता अंधे / पागल या अशक्त है अं	ौर कुछ भी कमाने में असमर्थ है ।
	हस्ताक्षर राज्य कर्मचारी
	सार्य प्रमायास (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित)
श्री भेरे उ	मधीन
पद पर कार्य कर रहा है/था/	/ तथा इनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है।
इनका मूल वेतन म	नंहगाई वेतन
अतिरिक्त महंगाई भत्ता	अन्तरिम राहत
मकान किराया योग	. प्रतिमाह, वेतन श्रृखंला
में है तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	<u>कै</u> ।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष अथवा राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी (Head of Dept. or Gazetted Controlling Officer) (पद व कार्यालय की मुहर)

Government of Rajasthan

(Name & Address of the authority issuing the certificate)
INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS
Certificate No.
Date

VALID FOR THE YEAR

This is to certif	y that Shri/Smt./Kumarison/daughter/wife
of	Village/
Street	District in
the State/Union	n TerritoryPin Code"whose photograph is attested below
belongs to Eco	nomically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family "**is
below Rs.800,0	00/-(Rupess Eight Lakh only) for the financial yearHis/her family
does not own o	r possess any of the following assets***:
I. 5 acres of agri	icultural land and above;
II. Residential fl	at of 1000 sq.ft.and above;
III.Residential p	lot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential p	olot of 200 sq.yards and above in areas other than the notified municipalities.
2 Shri/Smt /Ku	maribelongs to thecaste
	cognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes
(Central/State L	_
•	is recognized for both Centre/State of Rajasthan.
inis certificate	is recognized for both centre/state of rajustium
Recent	
Passport size	
attested	
photograph of	
the applicant	
	Signature with seal of DM/ADM/SDM/Tehsildar
	Office
	Name
	Designation
Divisional Magis	nust be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Sub strate/Tehsildar of the District/Sub Division/ Tehsil of which the candidate is a
* Note 1:	Income coverd all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.
**Note 2.	The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation,
	his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children
	below the age of 18 years
***Note 3:	The property held by a "Family" in different locations or different places cities have been
	clubbed while applying the land or property holding test of determine EWS status.
Note 4:	This certificate is in relation both (a) office memorandum number 36039/1/2019&ESTT
	(RES) date 31.01.2019 & F NO.12-4/2019 U1 date 17.01.2019 issued by department of
	personnel and Training, Ministry of Personnel, public grievances and pensions, and Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development. (b)
	F7/1/DOP/A-II/2019 date 19.02.2019 and F 7/1DOP/A-II/2019 dated 22.02.2019 issued by
	Department of personnel, Government of Rajasthan.

CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY DEPENDENT OF DEFENCE PERSONNEL

	(To be attached with application form)	
No.:	Date:	••
I	certify that	
(Se	ervice No. Rank & Name of the Certifying Officer)	
natural father/mother/husband	of is/was Defence Perso	n
	(Name of Applicant)	
His/Her particulars are as follo	ws:	
1. Service No., Rank and	d Name of the person	
2. Name of the Unit last	Served	
3. Date of enrolment	Date of death/discharge/retirement	
	viceman of Rajasthan origin and his/her home town as given by him/her at the nto service is	
	Identity Card No. is	
Category of defense persons		
	applicable and strike off whichever is not applicable) Defence Personnel killed in action. Yes	No
•	ed in action and boarded out from service. Yes No	
•	·	4
military service. Yes No	s of Defence personnel who died while in service with death attributable	
Priority IV: Wards of disable	ed in service and boarded out with disability attributable to military service. Yes	No
Priority V : Wards of Ex-Serv	vicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards: Yes N	o
	Ashok Chakra iii. Maha Vir Chakra iv. Kirti Chakra v. Vir Chak Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal viii. Mention-in-Despatches.	ra
Priority VI: Wards of Ex-Ser	vicemen Yes No	
Priority VII: Wives of: Yes	No	
i) defence personnel disabled i	n action and boarded out from service.	
ii) defence personnel disabled	in service and boarded out with disability attributable to military service.	
· ·	e personnel who are in receipt of Gallantry Awards.	
Priority VIII: Wards of Serv		
Priority IX: Wives of Serving		
Thorny IX. wives of Serving	g reisonner. Tes two	
	Signature	
	Name	
Seal of Officer	District Soldier Welfare Officer/Commanding Officer	
	Name of District / Unit Number	
NOTE:	P. 11	
 Strikeout whichever is not Definition of Ex-servicema 	applicable. In shall be as per Hand Book on Resettlement of Ex-servicemen (1995).	
	for the ward of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waiv	ed

- 3. The domicile requirement for the ward of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off for wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan. The domicile condition is waived off to enable them to appear in the entrance test and be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
- 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilization by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.
- 5. Defence personnel should be of Rajasthan origin. The state of origin and the home town as entered in the discharge certificate/record shall only be accepted as proof in respect of above.
- 6. Copies of discharge certificate and P.P.O. should be submitted with the application and originals should be brought at the time of manual counseling.

Certificate regarding Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Non Creamy Layer OBC/ Non Creamy Layer MBC

(This format is to be used with application form if the certificate issued by competent authority is not available इस प्रारुप का उपयोग तभी किया जावे यदि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र पूर्व से आवेदक के पास नहीं हो)

No:	Date:
I	sigtuato/CDM/Tabaildan)
(Name of the District Magistrate/ Addl. District Magcertify that Shri/ Ku.	,
son/daughter of Shri	and belongs to Scheduled Caste
Scheduled Tribe/ Non-Creamy Layer C	DBC/ Non-Creamy Layer MBC*
(Name of the caste)	by birth as notified under Presidentia
Order for the State of Rajasthan in	(village/tehsil) Distric
·	
Court Seal : Date:	Signature of the District Magistrate ADM/SDM/Tehsildar

(This certificate must be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/ Tehsildar of the District/Sub Division/Tehsil of which the candidate is a resident)

 अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र यदि प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से पुराना हो तो निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ परिशिष्ट-VI में निर्धारित आय प्रमाण पत्र का प्रारुप प्रस्तुत करना होगा।

नॉन किमीलेयर सम्बन्धी शपथ–पत्र

आवेदक का आधार नम्बर				
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या				
3111417	7 11(11(12 g) 41 17 11 11(11g 1210 (1011)			
में	पुत्र / पुत्री श्री			
निवासी				
गांव / षः	हरजिलाजिला			
	राजस्थान का / की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:—			
1.	मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सिम्मिलित वर्ग अन्य/अति पिछड़ा वर्ग की			
	जातिका ∕ की सदस्य हूँ।			
2.	मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में			
	उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह क वर्ग—1, समूह ख वर्ग—2 के अधिकारी तथा			
	भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नही थे।			
3.	मेरे माता / पिता सरकारी / निजी क्षेत्र मेंपद पर कार्यरत है / थे।			
4.	मेरे माता / पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आयरूपये हैं।			
5.	मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवष्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।			
6.	o. मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये है।			
7.	कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेष से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।			

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्टिया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य/अति पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का हूं / नहीं हूं और अन्य/अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मेरी अभ्यर्थता / प्रवेश रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी समस्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा / होऊंगी जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(नोट:- उत्तरदायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् /सदस्य/ संरपच/ राजकीय अधिकारी/राजकीय कर्मचारी से है।)

प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत् घोषणा पत्र (संस्था में पंजीकरण/ नामांकन के समय प्रस्तुत किया जावे)

मैं		(विद्यार्थी का नाम)
पुत्र / पुः	त्री श्री(पिर	ता का नाम) यह घोषणा करता / करती हूँ कि :
1.	होने के कारण प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migrati	नाम) की पूरक परीक्षा सत्र 2021—22 में सम्मिलित on Certificate) प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। मैं परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों की गा / दूंगी।
	अथव	Т
		प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत ध्थान के प्रधानाचार्य को पंजीकरण प्रारम्भ होने की कर दूंगा / दूंगी।
2.	उपरोक्तानुसार प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं जाता है तो इसके लिये मैं स्वय जिम्मेदार हो	कर पाने की स्थिति में यदि मेरा प्रवेश निरस्त हो ऊंगा / होऊंगी।
3.	होऊंगा / होऊंगी। ऐसी स्थिति में किसी प्रका	पर मैं किसी प्रकार के लाभ का हकदार नहीं र की, कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का मुझे कार के शुल्क वापस पाने का हकदार भी नहीं
स्थान :		अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक	:	पूरानामपता
		(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जावें)

नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत् शपथ पत्र का प्रारुप (आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे)

	में	(नाम) पुत्र / पुत्री श्री
(पित		जाति निवासी
		शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:–
1.		ई के दस्तावेजों व जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों में
		ं में लिखा है) लिखा हुआ है लेकिन वास्तविकता में मेरा नाम
	हुआ है।	नैसा अंकतालिका में अंकित है) होना चाहिये जो अधूरा लिखा
		
		सत्यापन
करता /	मैं अपने प्रार्थनापत्र की मद सं करती हूँ। ईश्वर मेरी मदद क	. 1 को अपनी निजी जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार रे।
स्थान :		अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
	:	पूरा नाम
14 1147	•	पता
		(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जावें)
		,

(नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प रू. 100/-) शपथ-पत्र

श्रापथ—पत्र (एकल महिला (विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा / 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहिता) के आश्रितों को डिप्लोमा प्रथम वर्ष प्रवेश में आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु।)

Ť	शपथ	ग पूर्वक घोषणा करती हूँ कि≔	• -			
		मैं श्रीमती / सुश्री		(एकल महिल	ाा का नाम) पुत्री ∕ पर्त्न	Ì
		श्री(पित	ा∕पति का नाम)			
		निवासी (ग्राम / शहर)	जिला		राज्य	
		की मूल निवासी हूँ।				
	2.	यह है कि मेरे पुत्र/पुत्री/	आश्रित श्री / सुश्री		(अभ्यर्थी क	T
		नाम) ने राज्य सरकार तकन				
		शिक्षा / महिला) पॉलिटेक्निक	महाविद्यालयों में संचालित	न डिप्लोमा इंचि	नियरिंग पाठ्यक्रम प्रथग	Ŧ
		वर्ष सत्रके प्रवेश में	एकल महिला आश्रितों के	लिए निर्धारित	आरक्षित स्थानों पर प्रवेश	T
		हेतु ONLINE आवदेन किया है	1			
	3.	यह है कि मैं एकल महिला (विधवा / परित्यक्ता / तलाक	शुदा / अविवाहि	ता)	
		आरक्षित श्रे	णी के अन्तर्गत आती हूँ।			
		(बिन्दु सं. 04 में जो लागु ह	ो उस पर सही का निशान	लगावें)		
	4.	यह है कि:-		-		
		(1) मैने पुनर्विवाह नहीं किया	है।()			
		अथवा				
		(2) मैं वर्तमान में 35 वर्ष की	आयु के पश्चात भी अविव	हिता हूं।()		
	5.	यह है कि अभ्यर्थी श्री/सुर्श्र	ोपूर	र्ग रूप से मेरे	पर निर्भर एवं आश्रित है	4
		एवं मेरे स्वयं के अलावा अभ्य				
	6.	यह है कि उपरोक्त समस्त त	थ्य मेरी जानकारी में सही	व सत्य है, इर	तमें किसी प्रकार के साक्ष्य	Į
		या तथ्य छुपायें नहीं गये है	। अभ्यर्थी के प्रवेश के पश	वात भविष्य में	यदि उपरोक्त के अलाव	T
		कोई अन्य तथ्य उजागर हो	ता है जिसके कारण मेरे	पर पूर्णतया अ	ाश्रित अभ्यर्थी की पात्रत	T
		रद्द होती है तो इसके लिए		ζ,		
		•	•			
		(हस्ताक्षर गवाह)	(हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक)		(हस्ताक्षर शपथकर्ता)	